I/205988/2024

प्रेषक,

अतर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

पत्र क्रमांक सं० 82
दि० 29.04.2024
देहरादून

सेवा में,

1. मंडलायुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल / गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2. उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
3. उपाध्यक्ष, हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
4. उपाध्यक्ष / जिलाधिकारी, समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण।
5. संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।

आवास विभाग–2 देहरादून, दिनांकः 22 अप्रैल, 2024।

विषयः भू–उपयोग परिवर्तन, भवन उपविधि के मानकों में शिथिलीकरण, परिक्षेत्रीय विनियमन एवं शमन इत्यादि तकनीकी प्रकरणों को प्राधिकरणों की बोर्ड बैठक की कार्य सूची (एजेण्डा) में सम्मिलित किये जाने से पूर्व नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की तकनीकी आख्या प्राप्त किये जाने संबंध में।

महोदय,

कृपया, उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत नियोजित एवं नियमित निर्माण किये जाने हेतु उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। उक्त अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार प्राधिकरणों का यह दायित्व निर्धारित है कि वह नियोजित विकास सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। इसी क्रम में प्राधिकरण की बोर्ड बैठकों में विभिन्न प्रकरण यथा भू–उपयोग परिवर्तन, भवन उपविधि के मानकों में शिथिलीकरण, परिक्षेत्रीय विनियमन एवं शमन इत्यादि तकनीकी प्रकरणों को प्राधिकरणों की बोर्ड बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

2. आवास विभाग के शासनादेश संख्या–468 / V-2 / 13(एल0यू0सी0) / 2019, दिनांकः 12.07.2019 व शासनादेश संख्या–467 / V-2 / 24(आ0) / 2019, दिनांकः 27.08.2019 के अनुसार भू–उपयोग परिवर्तन एवं शिथिलीकरण इत्यादि प्रकरणों को बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने से पूर्व नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की आख्या प्राप्त किये जाने का प्राविधान पूर्व से ही है।

3. उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार प्राधिकरणों द्वारा शासन को संदर्भित किये जाने वाले प्रकरणों को मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के मंतव्य एवं संस्तुति उपरांत प्रेषित किये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं। संदर्भगत अधिनियम के

/205988/2024

अनुसार मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, आवास विभाग के तकनीकी अधिकारी के रूप में प्राधिकरण बोर्ड की बैठकों में प्रतिभाग करते हैं।

4. प्राधिकरण बोर्ड में रखे जाने वाले प्रकरणों को नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को एक या दो दिन पूर्व ही, अथवा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में ही उपलब्ध कराये जाने से प्रस्तुत प्रकरणों का नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तकनीकी एवं भौतिक परीक्षण संभव नहीं हो पाता है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, प्राधिकरण क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों के संबंध में मुख्य तकनीकी परामर्शदाता है।

5. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भू–उपयोग परिवर्तन, भवन उपविधि के मानकों में शिथिलीकरण, परिक्षेत्रीय विनियमन एवं शमन इत्यादि तकनीकी प्रकरणों को प्राधिकरणों की बोर्ड बैठक की कार्य सूची (एजेण्डा) में सम्मिलित किये जाने से पूर्व नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की तकनीकी आख्या अवश्य प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by Atar Singh
Date: 22-04-2024 10:43:13

(अतर सिंह)

अपर सचिव,

<u>प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित</u> :

1– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2– स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3 – निजी सचिव, मा0 आवास मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4– गार्ड फाईल।